न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 28/2020

अपीलांट –

श्रीमती धनी पत्नी लूणा जाति जाट निवासी असाडा की बेरी तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स–

1. तहसीलदार बाड़मेर
2. दमा पुत्र जेठा
3. नेमा पुत्र जेठा
4. श्रीमती हीरो पत्नी स्वर्गीय जेठा
5. श्रीमती चूनी पत्नी सता
6. जोगा पुत्र सता
7. दुर्गा पुत्री सता
8. धरमा पुत्र सता

(रेस्पोडेंट संख्या 6 से 8 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता चूनी) जाति जाट निवासियान असाडा की बेरी तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 79 दिनांक 20.01.1983 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

राजस्व अपील सं. 29/2020

अपीलांट –

श्रीमती धनी पत्नी लूणा जाति जाट निवासी असाडा की बेरी तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स–

1. तहसीलदार बाड़मेर
2. दमा पुत्र जेठा
3. नेमा पुत्र जेठा
4. श्रीमती हीरो पत्नी स्वर्गीय जेठा
5. श्रीमती चूनी पत्नी सता
6. जोगा पुत्र सता
7. दुर्गा पुत्री सता
8. धरमा पुत्र सता

(रेस्पोडेंट संख्या 6 से 8 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता चूनी) जाति जाट निवासियान असाडा की बेरी तहसील व जिला बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 380 दिनांक 27.08.2020 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :– उपरोक्त दोनों अपीलों में –

1. श्री हाकमसिंह भाटी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री पदमसिंह पडिहार, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5 से 8 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 01.09.2021

1. उपरोक्त दोनों ही प्रकरणों में समान पक्षकार एवं समान विषय–वस्तु निहित होने से एक ही संयुक्त निर्णय के द्वारा निस्तारित किये जा रहे हैं। निर्णय की एक–एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।

2. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम असाड़ा की बेरी तहसील बाड़मेर के नामान्तरकरण सं. 79 तथा 380 पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश क्रमशः दिनांक 20.01.1983 तथा 27.08.2020 के विरूद्ध दिनांक 07.09.2020 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

3. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा असाड़ा की बेरी तहसील बाड़मेर के खसरा नंबर 23 व 24 रकबा क्रमशः 220–06 व 138–08 बीघा कुल रकबा 358–14 बीघा भूमि खातेदार जेठा उर्फ जेठीया पुत्र अलसा जाति जाट सा0 देरासर के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदार जेठा उर्फ जेठीया का देहान्त संवत् 2039 को हो गया। खातेदार जेठा उर्फ जेठीया के [illegible] पटवारी जसाई द्वारा नामान्तरकरण सं. 79 में [illegible]स के रूप में दमा नेमा पि0 जेठा सता वल्द [illegible] हेमा वल्द ताजा कौम जाट

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

सा0 देरासर के नाम दर्ज कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हेमा पुत्र ताजा को मृतक जेठा का उत्तराधिकारी नहीं मानते हुए शेष के नाम नामान्तरकरण आदेश दिनांक 20.01.1983 को स्वीकृत कर दिया। इस नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध अपील संख्या 28 / 2020 प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार उक्त खातेदार जेठा उर्फ जेठीया के उत्तराधिकारियों में सताराम वल्द लूणाराम के फौत होने पर पुनः हलका पटवारी जसाई द्वारा नामान्तरकरण सं. 380 में मृतक सताराम के वारिसान के रूप में जोगाराम धर्माराम पि0 सताराम दुर्गा पुत्री सताराम व चुनी पत्नी सताराम के नाम दर्ज कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा दिनांक 27.08.2020 को स्वीकृत कर दिया। उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील संख्या 29 / 2020 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपीलांट ने तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त दोनों नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेशों के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 07.09.2020 को प्रस्तुत की गई हैं। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

4. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपीलों में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा असाड़ा की बेरी तहसील बाड़मेर के खसरा नंबर 23[illegible] रकबा क्रमशः 220–06 व 138–08 बीघा कुल रकबा [illegible] जेठा उर्फ जेठीया पुत्र अलसा जाति जाट [illegible] खातेदारी में दर्ज थी। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lon
जिला कलक्टर
बाड़मेर

खातेदार जेठा उर्फ जेठीया के तीन पुत्र दमा, नेमा व लूणा थे जिनमें से लूणा का देहान्त जेठा के जीवनकाल में ही हो गया था। अपीलांट उक्त लूणा की विवाहिता पत्नी है जिनके एक पुत्र सताराम है। खातेदार जेठा के फौत होने पर जो नामान्तरकरण संख्या 79 दायर किया गया उसमें जेठा के पूर्व मृत पुत्र लूणा के वारिसान में सता के साथ अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया गया। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा स्वर्गीय लूणा के वारिसान बाबत कोई जांच नहीं की तथा अकेले सता का नाम दर्ज कर दिया जबकि अपीलांट स्वर्गीय लूणा के वारिसान के रूप में मौजूद थी। उक्त नामान्तरकरण में जब हेमा पुत्र ताजा का नाम सम्मिलित नहीं किया गया तब हेमा ने अपीलांट व स्वर्गीय सता पर ढाणी जाकर हमला कर संगीन मारपीट की जिसका फौजदारी प्रकरण चला तथा उस प्रकरण में अपीलांट को डरा–धमकाकर राजीनाम करवा दिया तब अपीलांट यह समझती रही कि अपीलांट का नाम रेकर्ड में दर्ज है। अभी करीब 10 रोज पूर्व अपीलांट के पुत्र सता का देहान्त होने के नामान्तरकरण बाबत हलका पटवारी से मिली तब बताया कि स्वर्गीय लूणा के वारिसान में सता का नाम ही है तथा सता के विरासत नामान्तरकरण में अन्य वारिसान को स्वीकृति बिना शामिल नहीं किया जायेगा। इस पर दिनांक 31.08.2020 को अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 79 की नकल मांगी जो दिनांक 04.09.2020 को मिलने पर उक्त त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण का ज्ञान हुआ। हलका पटवारी द्वारा अपीलांट के पुत्र सता के फौत होने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 380 दायर किया। इसमें भी अपीलांट का नाम सम्मिलित नहीं किया। अपीलाधीन आराजी में सता के 1/8 हिस्सा में अपीलांट उसकी माता होने से अपीलांट का 1/40 हिस्सा बनता है किन्तु हलका पटवारी ने अपीलांट का नाम सताराम के वारिसान में सम्मिलित नहीं करके केवल मात्र सताराम की पत्नी व बच्चों को ही वारिस माना है तथा तहसीलदार बाड़मेर द्वारा भी बिना कोई वारिसों की जांच किये आदेश दिनांक 27.08.2020 के द्वारा स्वीकृत कर दिया। इसके विरुद्ध यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपील संख्या 29/2020 प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त दोनों ही अपीलों में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियमय में विहित प्रावधानों का पालन नहीं करने से दोनों ही अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की उक्त दोनों अपीलें स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 79 व 380 अपास्त करते हुए अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने हेतु आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट संख्या 5 से 8 की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट स्वर्गीय लूणा की पत्नी है एवं जेठा के उत्तराधिकारियों में सम्मिलित है। अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड में लूणा एवं सता के उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 5 से 8 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि मौजा असाड़ा की बेरी तहसील बाड़मेर के खसरा नंबर 23 व 24 रकबा क्रमशः 220-06 व 138-08 बीघा कुल रकबा 358-14 बीघा भूमि खातेदार जेठा उर्फ जेठीया पुत्र अलसा जाति जाट सा0 देरासर के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदार जेठा उर्फ जेठीया के तीन पुत्र दमा, नेमा व लूणा थे जिनमें से लूणा का देहान्त जेठा के जीवनकाल में ही हो गया था। अपीलांट उक्त लूणा की विवाहिता पत्नी है जिनके एक पुत्र साताराम है। खातेदार जेठा के फौत होने पर जो नामान्तरकरण संख्या 79 दायर किया गया उसमें जेठा के पूर्व मृत पुत्र लूणा के वारिसान में सता के साथ अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया गया तथा सता के फौत होने पर दायर नामान्तरकरण संख्या 380 में भी अपीलांट को वारिस के रूप में दर्ज नहीं किया गया। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन दोनों ही नामान्तरकरणों की स्वीकृति से पूर्व मृतक के वारिसान की जांच एवं उनको नोटिस व सुनवाई का अवसर दिया जाना नहीं पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलांट ग्रामीण क्षेत्र की विधवा महिला है जिसे अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 79 का तत्समय ज्ञान नहीं होने का तथ्य स्वभाविक प्रतीत होता है। लिहाजा उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा कर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है। अपीलांट स्वर्गीय खातेदार जेठा एवं सता की प्रथम श्रेणी की वारिस है, इस तथ्य को स्वयं रेस्पोडेंट संख्या 5 से 8 के अधिवक्ता ने स्वीकार किया है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 79 एवं 380 में अपीलांट को प्रथम श्रेणी वारिस होते हुए सम्मिलित नहीं करने से उक्त दोनों अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिविरूद्ध है जिन्हें बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा असाड़ा की बेरी के स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 79 व 380 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि मृतक जेठा उर्फ जेठीया एवं सता के वास्तविक वारीसान की जांच एवं उनको नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 01.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested